न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 77/2017
निर्णय दिनांक– 17.06.2019

उनवान

बद्री पुत्र हरनाथ जाति गूर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक

–वादी

बनाम

1.रामलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक
2.देवलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक
3.घीस्या पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक
4.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री सुरेन्द्र धाकड वकील वादीगण
2.श्री रामस्वरूप मीना वकील प्रतिवादी न03

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि वादी के पितामह रामचन्द्रा फागणा वल्द जाति गुर्जर के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिका ख0न0 27 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल रूपवास मे स्थित है। जिसके हाल ख0न0 85 रकबा 0.78, ख0न0 86 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा बने है। रामचन्द्रा के 2 पुत्र लाला व हरनाथ थे तथा लाला के दो पुत्र घीस्या व रामकिशन तथा हरनाथ के दो पुत्र प्रहलाद व बद्री थे। जिसमे वादी के भाई प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है। जिसके प्रतिवादी न0 1 व 2 वारिस है। प्रतिवादी न0 1 व 2 का पिता प्रहलाद परिवार का मुखिया एवं बडाथा, इस कारण हरनाथ की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की सम्पूर्ण आराजी गलत रूप से प्रहलाद के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई तथा प्रहलाद की मृत्यु के बाद प्रतिवादी न0 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई जबकि वादी अपने पिता हरनाथ के जीवन काल से ही 1/4 हिस्से अर्थात हरनाथ के हिस्से मे 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादगस्त आराजी वादी की पैतृक आराजी है जिस पर वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। सहवन से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे वादग्रस्त आराजी वादी के दादा के नाम खातेदारी मे दर्ज नही होकर हरनाथ का सम्पूर्ण हिस्सा प्रहलाद व प्रहलाद की मृत्यु के बाद प्रतिवादी न0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया, जो विधि विरूद्व है। जबकि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी खाता संख्या 113 ग्राम खजूरियां सं0 2069–72 मे प्रतिवादीगण न0 1 व 2 के साथ वादी का भी

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज है। वादी वर्तमान मे अत्यन्त वृद्व हो गया है। राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दर्ज नही होने से प्रतिवादी न0 1 व 2 के दि लमे बेईमानी आने लगी है तथा वे वादी के हक व अधिकारों को चेलेन्ज करते हुये वादी के हिस्से को रहन बैचान करने व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

यह है कि वादी की अधियाचना है कि वादग्रस्त खसरा न0 85 रकबा 0.78, ख0न0 86 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व हिस्से मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाख्लत नही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण न0 1 व 2 के बावजूद सूचना उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 18.9.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी न0 3 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान, पी.डब्लू. 1 ब्रदी , पी.डब्लू. घीस्या, पी.डब्लू. 3 रूपचन्द, पी.डब्लू. 4, रामफूल, पी.डब्लू. 5 मोरपाल, पी.डब्लू. 6 बाबूलाल, पी.डब्लू. 7 दशरथ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा सम्वत 2072–73 प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2017 प्रदर्श 3, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 5, नकल खसरा मौजा सम्वत 2041 से 2060 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 7 , नकल जमाबन्दी ग्राम खजूरिां सम्वत 2014 से 2017 प्रदर्श 8, नकल खाता संख्या 47 प्रदर्श 8 पेश किये है।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल खसरा मौजा लिछमीपुरा तहसील बनेठा प्रदर्श 6 मे साबिक ख0न0 27 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा रामचन्द्रा फागणा वल्द...कौम खजूरिया सा0 खजूरिया दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 5 नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 27 मि0 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा से हाल ख0न0 85 रकबा 0.78 व साबिक ख0न0 27 मि0 रकबा ..... से हाल ख0न0 86 रकबा 0.73 कायम हुये है। प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा मे आराजी ख0न0 85 रकबा 0.78 , ख0न0 86 रकबा 0.73 कुल किता 2 कुल 1.51 प्रहलाद पुत्र हरनाथ , घिसीया पुत्र लाला कोम गूजर हि0 बराबर सा0 खजूरिया की खातेदारी मे दर्ज है। प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–73 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल रूपवास मे हाल आराजी ख0न0 85 रकबा 0.78 , ख0न0 86 रकबा 0.73 कुल किता 2 कुल 1.51 घीस्या पुत्र लाला हिस्सा 1/2 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार , देवलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/7 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार, रामलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 5/14 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा मौजा लिछमीपुरा तहसील बनेठा प्रदर्श 6 से वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित है। प्रतिवादी न0 1 व 2 के बावजूद तामीली सूचना वाद मे उपस्थित नही होना वादी के वाद का परोक्ष समर्थन है। प्रतिवादी न0 3के द्वारा इकबाली जवाब

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

दावा पेश किया गया है। वादी के द्वारा प्रदर्श 8 नकल जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 ग्राम खजूरियां पेश की है, जिसमे भी प्रहलाद बदरी पि0 हरनाथ हि0 1/4 व घासी रामकिशन पि0 लाला हि0 1/4 दर्ज है। साक्ष्य वादीगण पी0डब्लू 1 ता 7 से भी वादी के वाद की पुष्टि होती है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात अकेले रामलाल व देवलाल के नाम जो कि प्रहलाद के पुत्र है, गलत दर्ज हुयी है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात हरनाथ के हिस्से मे वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/4 हिस्सा साबित है। वादी वादग्रस्त आराजीयात मे हरनाथ के हिस्से मे 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।

आराजी ख0न0 85 रकबा 0.78 , ख0न0 86 रकबा 0.73 कुल किता 2 कुल 1.51 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल रूपवास जिसमे देवलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/7 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार, रामलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 5/14 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार दर्ज है, मे वादी को 1/2 हिस्से अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि व वादी के हिस्से मे किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)
उनवान

बदी पुत्र हरनाथ जाति गूर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक

—वादी

बनाम

1.रामलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक
2.देवलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक
3.घीस्या पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी खजुरियां पोस्ट घास तहसील व जिला टोंक
4.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 77 वर्ष 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सन्तोष कुमार मीना आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री सुरेन्द्र धाकड वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व श्री रामस्वरूप मीना वकील प्रतिवादी न0 3 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 85 रकबा 0.78 , ख0न0 86 रकबा 0.73 कुल किता 2 कुल 1.51 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल रूपवास जिसमे देवलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/7 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार, रामलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 5/14 जाति गुजर सा0 खजूरियां खातेदार दर्ज है, मे वादी को 1/2 हिस्से अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से मे किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नही करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 06 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner